कार्यवृत्त

बुधवार, 05 आषाढ़, शक संवत्, 1941
(दिनांक : 26 जून, 2019)

खण्ड–54
अंक–3

विधान सभा का कार्य सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11:00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में आरम्भ हुआ।

संसदीय कार्य मंत्री ने नियम–112 के अन्तर्गत राज्य के शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डे के पुत्र स्व0 अंकुर पाण्डे एवं स्वामी स्व0 श्री सत्यमित्रानन्द गिरी जी महाराज के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

श्री अध्यक्ष ने सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डे के पुत्र स्व0 अंकुर पाण्डे एवं स्वामी स्व0 श्री सत्यमित्रानन्द गिरी जी महाराज के निधन पर शोकोद्‌गार व्यक्त किए।

तत्पश्चात सदन में दो मिनट का मौन रखा गया।

मा0 सदस्य श्री करन माहरा सहित विपक्ष के सभी मा0 सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर कतिपय सी0 डी0 से सम्बन्धित नियम–310 सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रकरण न्यायलय में विचाराधीन होने के कारण इस पर चर्चा नहीं करायी जा सकती। श्री अध्यक्ष ने कहा कि मा0 सदस्य अपना–अपना स्थान ग्रहण करें और प्रश्नकाल होने दें। श्री अध्यक्ष के बार–बार अनुरोध करने पर भी नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के सभी मा0 सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर चर्चा कराये जाने की मांग पर अड़े रहे। श्री अध्यक्ष ने कहा कि आज सदन का आखिरी दिन है, अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय कार्यसूची में लगे हैं। अतः प्रश्नकाल चलने दें।

नेता प्रतिपक्ष द्वारा इस पर पीठ से विनिश्चय दिये जाने की मांग की गयी। श्री अध्यक्ष ने कहा कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण वे इसको उठाए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। इस पर नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य ''वेल'' में आकर जोर–जोर से अपनी बात कहने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 11 बजकर 42 मिनट पर 12 बजकर 20 मिनट तक के लिये स्थगित की।

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली, 2005 के नियम–43 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

सदन की कार्यवाही 12 बजकर 20 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।

श्री अध्यक्ष के पीठासीन होते ही नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर विपक्ष के सभी मा0 सदस्य ''वेल'' में आकर नियम–310 की अपनी सूचना पर चर्चा कराये जाने की मांग करने लगे।

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण नियमानुसार इस पर चर्चा नहीं करायी जा सकती। श्री अध्यक्ष द्वारा बार–बार आसन ग्रहण करने का अनुरोध किए जाने पर भी विपक्ष के सभी मा0 सदस्य सदन के ''वेल'' में आकर नारेबाजी करने लगे जिससे घोर व्यवधान होने लगा।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम 300 के अन्तर्गत 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मा0 सदस्य श्री राजेश शुक्ला ने सत्र का अन्तिम दिन होने के कारण सभी सूचनाओं को लिए जाने का अनुरोध किया। इस पर श्री अध्यक्ष ने सभी सूचनाओं पर शासन का ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की गई।

निम्न मा0 सदस्यों की उनके नाम के सम्मुख सूचनाएं ध्यानाकर्षण के लिए ली गईः–

1. श्री उमेश शर्मा 'काऊ'	जनपद देहरादून में 33वें वित्त कार्यक्रम के अन्तर्गत देहरादून शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम द्वारा सीवेरज के कराये जा रहे कार्यों को पूर्ण न कराये जाने एवं रायपुर रोड व सहस्त्रधारा रोड पर मुख्य सीवर लाईन न बिछाये जाने पर जनता में सरकार के प्रति असंतोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
2. श्री राजकुमार ठुकराल	नजल भूमि पर वर्षों से निवास कर रहे नागरिकों को उनके स्वामित्व में फ्रीहोल्ड कर पट्टा करने हेतु नवीन नजल–नीति बनाने के लिए मा0 उच्च न्यायालय में आवेदन के सन्दर्भ में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
3. श्री प्रीतम सिंह पंवार	विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत बनाली आनन्द चौक व काण्डी पेयजल योजना निमार्ण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
4. श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी	विधान सभा गैरसैंण में मिनी सचिवालय निर्माण हेतु निर्माण एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं राज्य सम्पति विभाग को निर्माण कराने के निर्देश के सम्बन्ध में।**(पढ़ी हुई मानी गई।)**
5. श्रीमती ममता राकेश	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत प्रवर्तकता (sponsorhip)योजना में बच्चों की लाभ की सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
6. श्री नवीन चन्द्र दुम्का	विधान सभा क्षेत्र लाल कुआं में आरक्षित वनों में अवैध शराब को रोकने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
7. श्री राजकुमार	विधान सभा क्षेत्र पुरोला के जखोल लिवाड़ी मोटर मार्ग पर खेड़ा घाटी पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत गार्डर पुल स्वीकृत होने के बाद भी निर्माण न होने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**
8. श्री फुरकान अहमद	उत्तराखण्ड वक्फ वोर्ड में विगत 02 वर्षों से अल्प संख्यक समुदाय के विधायक/जन प्रतिनिधि को नामित न किये जाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई)**

9. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना — स्वजल विभाग द्वारा शौचालय निर्माण में की गयी कार्यवाही के कारण व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

10. श्री पूरन सिंह फर्त्याल — उच्चीकृत विद्यालयों में पद सृजन के बाद शिक्षकों की नियुक्ति न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

11. श्री हरबन्स कपूर — सीवर ट्रीटमेंन्ट प्लांट न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

12. श्री बलवंत सिंह भौर्याल — विधान सभा कपकोट के अन्तर्गत प0 दीन दयाल उपाध्याय योजना से विद्युती करण न होने से जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

13. श्री महेन्द्र भट्ट — जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में विद्युत आपूर्ति के लगातार बाधित होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

14. श्री बिशन सिंह चुफाल — जनपद पिथौरागढ़ के राजकीय कालेज मुवानी का भवन न होने से जनता में भारी आक्रोश के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

15. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर — जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत राम सावाला, जसोवाला, शंकरपुर आदि ग्राम पंचायतों में सिचाई की गम्भीर समस्या से कृषि योग्य भूमि बंजर होने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

16. श्री महेश सिंह नेगी — राजकीय महाविद्यालय चौखुटिया में वाणिज्य संकाय एवं स्नातकोत्तर में राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र तथा इतिहास विषयों की कक्षाओं का संचालन ना होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

17. श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी — विधान सभा क्षेत्र चम्पावत में गौड़ी नदी में लघु जल विद्युत परियोजना के कार्य पूर्ण न होने से असन्तोष के सम्बन्ध में।**(पढ़ी हुई मानी गई।)**

18. श्री देशराज कर्णवाल — शहीद स्मारक कुंजा बहादुरपुर जिला हरि्द्वार के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

19. श्री करन माहरा — जनपद नैनीताल में सैलानियों के वाहनों को नगर में प्रवेश न देने से कई सैलानी वापस होने से पर्यटन और राज्य की आय में हानि होने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

20. श्री राजेश शुक्ला — विधान सभा क्षेत्र किच्छा में गोला नदी (किच्छा नदी) पर पुल निर्माण न होने से जनता में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में।

(पढ़ी हुई मानी गई।

21\. श्री राम सिंह कैड़ा — भीमताल विधान सभा के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ नही मिल पाने के सम्बन्ध में। **(पढ़ी हुई मानी गई।)**

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, द्वारा विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम शहीद गांव कुंजा बहादरपुर में विशेष दर्जा दिये जाने के सम्बन्ध में'' श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री गौतम सिंह, ग्राम–कुंजा बहादरपुर, पो0–चुड़ियाला, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, द्वारा विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम डाडली में बारात घर का सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में'' श्री आयुष पुत्र श्री शीशपाल, ग्राम–डाडली, पो0–सिरचन्दी, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री देशराज कर्णवाल, सदस्य, द्वारा विधान सभा ''जनपद हरिद्वार के ग्राम चुडियाला में बारात घर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में'' श्री सुखलाल बाग्ले, पुत्र श्री दयाराम, ग्राम व पो0 चुडियाला, जनपद हरिद्वार एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या–08, 09 एवं 10 पर मा0 सदस्य श्री धन सिंह नेगी का नाम याचिका हेतु पुकारे जाने पर मा0 सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री शक्ति लाल शाह, सदस्य, द्वारा विधान सभा ''विधान सभा क्षेत्र घनसाली, टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड भिलंगना में स्वीकृत पद के सापेक्ष रिक्त चल रहे अध्यापकों की व्यवस्था के सम्बन्ध में'' श्री भरत सिंह नेगी, अध्यक्ष गोनगढ़ विकास संघर्ष समिति विकास खण्ड भिलंगना, जनपद टिहरी गढ़वाल एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि कार्य–मंत्रणा समिति ने दिनांक 25 जून, 2019 की बैठक में दिनांक 26 जून, 2019 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः–

जून, 2019

26 (बुधवार) विधायी कार्यः–

उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार एवं पारण। (15 मिनट)

घोर व्यवधान के ही मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–58 के अन्तर्गत श्री मनोज रावत, श्री राजकुमार, श्री प्रीतम सिंह, श्री गोविन्द सिंह कुन्जवाल, श्री करन माहरा तथा श्रीमती ममता राकेश की 04 सुचनाएं प्राप्त हुई हैं। श्री अध्यक्ष द्वारा उक्त मा0 सदस्यों के नाम सूचना की ग्राह्यता पर विचार प्रस्तुत करने हेतु पुकारे गये। किन्तु भी मा0 सदस्य द्वारा अपनी सूचना प्रस्तुत नहीं की गयी।

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि यह सदन कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, से सहमत है। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के ही मध्य संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 पर विचार किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के मध्य श्री केदार सिंह रावत, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 में निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया गयाः–

(1) धारा 08 में–

(i) खण्ड (थ) के प्रथम परन्तुक में शब्द ''पुरूष'' तथा दूसरा परन्तुक हटा दिया जाये।

(ii) खण्ड (द) में शब्द ''जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि से 300 दिवस के पश्चात हुआ हो'' हटा दिया जाय।

(2) धारा 53 में–

(i) खण्ड (थ) के प्रथम परन्तुक में शब्द ''पुरूष'' तथा दूसरा परन्तुक हटा दिया जाये।

(ii) खण्ड (द) में शब्द ''जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि से 300 दिवस के पश्चात हुआ हो'' हटा दिया जाय।

(3) धारा 90 में–

(i) खण्ड (थ) के प्रथम परन्तुक में शब्द ''पुरूष'' तथा दूसरा परन्तुक हटा दिया जाये।

(ii) खण्ड (द) में शब्द ''जिनमें से एक का जन्म इस धारा के प्रवृत्त होने की तिथि से 300 दिवस के पश्चात हुआ हो'' हटा दिया जाय। **संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

विधेयक पर खण्डशः विचार आरम्भ हुआ।

खण्ड–2 से खण्ड–22, खण्ड–1 प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग बने।

घोर व्यवधान के ही मध्य पंचायती राज मंत्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तराखण्ड पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019 को यथा संशोधित पारित किया जाय। **प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने सूचित किया कि आज नियम–53 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। वे सभी सूचनाओं को सरकार के ध्यानाकर्षण के लिये स्वीकार कर रहे हैं।

यूजेवीएन लि0 में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता हेतु प्रोन्नति कोटा 58.33 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री प्रीतम सिंह पंवार,

उत्तराखण्ड राज्य के वर्ष 2017 से दिनांक आज तक कृषकों को गन्ना भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री उमेश शर्मा 'काऊ',

जनपद चमोली के विकास खण्ड गैरसैंण के अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र व बच्छुवावाण (माईथान) एवं मैहलचौरी में डॉक्टर न होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी,

66 रूद्रपुर विधान सभा क्षेत्र में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई तीन प्रमुख सड़को के अविलम्ब स्वीकृति के सम्बन्ध में। मा0 सदस्य, श्री राजकुमार ठुकराल,

जनपद हरिद्वार के तहसील व परगना रूड़की के अन्तर्गत ग्राम अब्बुल हसनपुर में चकबन्दी न होने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य, मौ0 फुरकान अहमद

रामनगर से सल्ट विधान सभा को जाने वाले मार्ग पर जंगली जानवरों के आतंक पर नियंत्रण की उचित कार्यवाही न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री सुरेन्द्र सिंह जीना,

विकास खण्ड बाराकोट में 108 गाड़ी की सुविधा उपलब्ध न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री पूरन सिंह फर्त्याल,

जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के गांवो में पेयजल समस्या के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री महेन्द्र भट्‌ट,

विधान सभा द्वाराहाट के अन्तर्गत विकास खण्ड चौखुटिया में ''बरल लिफ्ट सिंचाई योजना के निर्माण की प्रायोजना'' का निर्माण न होने से व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री महेश सिंह नेगी,

चम्पावत विधान सभा में जिला विकास प्राधिकरण अधिनियमों के लागू होने से विधान सभा क्षेत्र चम्पावत की जनता में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री कैलाश चन्द्र गहतोड़ी,

श्री यमुनोत्री, श्री गंगोत्री, श्री केदारनाथ, श्री बद्रीनाथ चारों धामों में प्रेस क्लब/गेस्ट हाउस बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री देशराज कर्णवाल,

किच्छा गन्ना समिति के कर्मचारियों को पिछले 18 महीने से वेतन न मिलने पर कर्मचारियों एवं उनके परिवारों में गुजर बसर न होने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री राजेश शुक्ला, तथा

उत्तराखण्ड राज्य के युवाओं को सिडकुल में 70 प्रतिशत आरक्षण नौकरी में न दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री राम सिंह कैड़ा की सूचनाओं को ध्याना कर्षण के लिए स्वीकृत किया गया।

संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि इस सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाय। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

''राष्ट्रगान'' के उपरान्त सदन का उपवेशन 12 बजकर 45 मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुआ।

जगदीश चन्द्र,
सचिव,
विधान सभा।

स्वीकृत,
प्रेमचन्द अग्रवाल,
अध्यक्ष,
विधान सभा।